



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली (म०प्र०)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल—dfot.sgl@mp.gov.in. फोन—07805-233336 फैक्स—233335

सूचना का
अधिकार

क्र०/मा०चि०/2540

सिंगरौली, दिनांक 12-05-2022

प्रति,

महाप्रबंधक

झिंगुरदहा परियोजना एन.सी.एल.

सिंगरौली म०प्र०

विषय:-

सिंगरौली जिले में बोदराटोला ग्राम की मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 0.957 हेक्टेयर वनभूमि झिंगुरदहा परियोजना, नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। (ऑनलाईन क्रमांक FP/MP/ROAD/143702/2021)

संदर्भ:-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, म०प्र० भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1102/2022/10-11/1617 भोपाल, दिनांक 06.05.2022।

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से बोदराटोला ग्राम की मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु महाप्रबंधक झिंगुरदहा परियोजना एन.सी.एल. को वनमण्डल सिंगरौली की प्रभावित वन भूमि रकवा 0.957 हे० के व्यपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें वन परिक्षेत्र बैटन के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 262 रकवा 0.957 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार एन.पी.व्ही की राशि एवं प्रकरण में कोई वृक्ष काटे जाना है, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों का 10 गुना रोपण अथवा 100 वृक्षों का रोपण किया जाना होता है। अतः प्रकरण में 100 वृक्षों की राशि, 2000/- प्रति वृक्ष की दर से राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

शर्त क्र०	मद का नाम	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि (रु.)
1	2	3
2	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	916595.00
4	100 वृक्षों की राशि 2000/- प्रति वृक्ष के दर से	200000.00
	योग:-	1116595.00

3. एन.पी.व्ही. की राशि रु. 9,16,595/- (रु. नौ लाख सोलह हजार पाँच सौ पंचानवे मात्र) एवं 100 वृक्षों की राशि 2000/- प्रति वृक्ष के दर से राशि रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र) होती है, कुल राशि रु. 11,16,595/- (रु. ग्यारह लाख सोलह हजार पाँच सौ पंचानवे मात्र) कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यूटी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4. साथ ही प्रथम चरण सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

(मधु व्ही. राज)

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

सिंगरौली दिनांक 12-05-2022

पृ०क्र०/मा०चि०/2541

प्रतिलिपि:-

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल म०प्र० की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली